राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9110 / से.का. / 2016 / दिनांक :– 19 MAY 2016

आदेश

नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.2(11)नविवि / II / 2010 दिनांक 06.05.2016 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसरण में, निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को; नगर नियोजन विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध; इनके कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक का पदस्थापन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164(ए) एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी / ए–II / 94 दिनांक 10.02.2016 में विहित शर्तो एवं दर पर संविदा पर निम्नानुसार पुनर्नियुक्त किया जाता है :–

क्र. सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम एवं पद	सेवानिवृत्ति तिथि	सेवानिवृत्त कार्मिक का वेतन बैण्ड / ग्रेड–पे	संविदा पर पुनर्नियुक्ति कार्यालय	पुनर्नियुक्ति का पद	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री कन्हैया लाल बैरवा, कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	31.10.15	9300–34800 4200	मुख्यालय, जयपुर	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	11605 / –
2.	श्रीमती सुमित्रा तँवर, लिपिक ग्रेड–द्वितीय	31.08.15	5200–20200 2800	उदयपुर	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	6800 / –
3.	श्री कालू राम, जमादार	31.05.15	5200–20200 2000	उदयपुर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5910 / –
4.	श्रीमती काली देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	30.06.15	5200–20200 1900	अजमेर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6462 / –

1. कॉलम संख्या 7 में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन देय होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।
2. कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त कार्मिकों को विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.2016 के साथ संलग्न परिशिष्ठ–''ख'' के अनुसार विभागाध्यक्ष के साथ विस्तृत करार प्रस्तुत करना होगा।
3. संविदा पर पुनर्नियुक्त उक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश का हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1 / 30 वां भाग काटा जायेगा।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : www.ctp.rajasthan.gov.in

4. उक्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

5. संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, विभाग द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

6. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

7. संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए उक्त कार्मिकों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

18.5.16

(श्रीमती इन्दिरा)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9110/से.का./2016/4190 दिनांक 19 MAY 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक(जेडएसपी), जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर/अजमेर जोन, अजमेर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. श्री कन्हैया लाल बैरवा, प्लॉट नम्बर–4, लव–कुश नगर–II, टोंक फाटक, जयपुर।
7. श्रीमती सुमित्रा तंवर, 1–के–45, एच.एम. सैक्टर–4, जैन मन्दिर की गली, उदयपुर।
8. श्री कालूराम, रामचन्द्र चौक, सीमेंट गली, हाउस नम्बर–19, हनुमान मन्दिर के पास, उदयपुर–313001
9. श्रीमती काली देवी, ग्राम–बौराज, राजकीय विद्यालय के सामने, फाई सागर रोड, अजमेर।
10. रक्षित पत्रावली।

18/05/16

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : www.ctp.rajasthan.gov.in